

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्रावधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती निवेदिता जोशी	फार्मासिस्ट	सामु०स्वा०के० सहस्रपुर, देहरादून	सामु०स्वा०के० रायपुर, देहरादून वर्तमान में कार्यरत श्री बाबू राम नौटियाल, फार्मासिस्ट की चीफ फार्मासिस्ट में पदोन्नति होने के फलस्वरूप नई तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात प्रभावी होगा।	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रनार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/ 20806

तददिनांक।

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

13/08/24
(जे०एस० बुफाल)
संयुक्त निदेशक (पे०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री प्रेम सिंह	फार्मासिस्ट	प्रा०स्वा०के० टाईप ए. हिसारियाखाल, टिहरी	जिला चिकित्सालय कोरोनेशन देहरादून	निजी अनुरोध


- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/ 20808

तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
 - मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी/देहरादून।
 - मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी, देहरादून।
 - संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
 - गार्ड फाईल।


13/08/24
(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पे०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री बाँकेलाल आर्या	फार्मासिस्ट	प्रा०स्वा०के० नैनबाग, टिहरी	उप जिला चिकि० रुडकी, हरिद्वार	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/ 20810

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी/हरिद्वार।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी,/हरिद्वार।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० घुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री अनिल कुमार मिश्रा	फार्मासिस्ट	सामु०स्वा०के० हरिद्वार	खानपुर, प्रा०स्वा०केन्द्र बौरागाढ देवाल, चमोली	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)

महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/ 20812

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल पौडी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/चमोली।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/चमोली।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री चन्द्र प्रकाश रावत	फार्मासिस्ट	प्रा०स्वा०के० सलूड, डूगा, जोशीमठ, चमोली	प्रा०स्वा०केन्द्र मण्डल, चमोली	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पत्रिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)

महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/ 20814

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० बुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

—: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री आलम सिंह	फार्मासिस्ट	सामु०स्वा०के० वेलेश्वर, टिहरी,	प्रा०स्वा०के० खानपुर, हरिद्वार	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तिारा आया)

महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/ 20816

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी/हरिद्वार।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी/हरिद्वार।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
सयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री आलम सिंह	फार्मासिस्ट	सामु०स्वा०के० बेलेश्वर, टिहरी,	प्रा०स्वा०के० खानपुर, हरिद्वार	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।


(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/ 20816

तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी/हरिद्वार।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी/हरिद्वार।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


(जोएसो चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पे०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री देव सिंह असवाल	फार्मासिस्ट	प्रा०स्वा०के० दुण्डसीर, कीर्तिनगर, टिहरी	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)

महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/ 20818

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल पौडी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी/देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी/देहरादून।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVII(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री जगदीश सिंह	फार्मासिस्ट	प्रा०स्वा०के० बाम्या, मैठाणा, चमोली	प्रा०स्वा०के० टाईप-ए चमोली	निजी अनुरोध

1. सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रमार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
3. सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
4. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/ 20820

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली।
4. संबंधित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।

(जोएसो चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVII(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती गुंजन वर्मा	फार्मासिस्ट	राज०एलो० चिकि० मनान, अल्मोडा	प्रा०स्वा०के० खेती, अल्मोडा	निजी अनुरोध

1. सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
3. सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
4. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/ 20822

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, म्दबाल-मण्डल पौखी। कुमाँ, मण्डल त्रैनीराल
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा।
4. संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक(पै०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री राजेन्द्र लाल खत्री	फार्मासिस्ट	प्रा०स्वा०के० रुद्रप्रयाग	धोरतीर, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(ताज़ा आया)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/ 20824

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, (प्रशा०) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय देहरादून।
- निदेशक, (वित्त) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग/देहरादून।
- मुख्य कोषाधिकारी, साईवर ट्रेजरी लक्ष्मीरोड डालनवाला, देहरादून/रुद्रप्रयाग।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक(पै०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री संजीव कुमार	फार्मासिस्ट	प्रा०स्वा०के० सितेल, नन्दनगर, चमोली	जिला चिकि० गोपेश्वर, चमोली वर्तमान में कार्यरत श्री रमेश चन्द्र नेगी, फार्मासिस्ट की चीफ फार्मासिस्ट में पदोन्नति होने के फलस्वरूप नई तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात उक्त आदेश प्रभावी होगा।	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवाधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/ 20826

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली।
- प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकि० गोपेश्वर, चमोली।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जोएस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक(पै०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/ 20829

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती रुचिता सिंह	फार्मासिस्ट	राज०एलो० चिकि० मछोड, अल्मोडा	राज०एलो०चिकि० परमानन्दपुर, उधमसिंहनगर	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/ 20828

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा/उधमसिंहनगर।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा/उधमसिंहनगर।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जोएस० घुफाल)
संयुक्त निदेशक(पै०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती सुनीता पुण्डीर	फार्मासिस्ट	राज०महिला चिकित्सालय माजफ, प्रतापनगर, टिहरी	प्रा०स्वा०के० न्यूली, टिहरी	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिरथानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/ 20830

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जोएसो) चुफाल
संयुक्त निदेशक(पै०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती उर्मिला चौहान	फार्मासिस्ट	प्रा०स्वा०के० नकोट, टिहरी	प्रा०स्वा०के० पिनगिरी, देहरादून	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।


(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/ 20832

तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/टिहरी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी/देहरादून।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक(पै०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री जगजीत सिंह	फार्मासिस्ट	प्रा०स्वा०के० नारायणबगड, चमोली	उप जिला चिकि० कर्णप्रयाग, चमोली	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)

महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

20834

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली।
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० कर्णप्रयाग, चमोली।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक(पै०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVII(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती नीतू आर्या	फार्मासिस्ट	राज०एलो० चिकि० गोदी, अल्मोडा	उप जिला चिकि० काशीपुर, उधमसिंहनगर	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।


(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/ 20836

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा/उधमसिंहनगर।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा/उधमसिंहनगर।
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० काशीपुर, उधमसिंहनगर।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


13/08/24
(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक(पी०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्रावधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक 05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018 30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री बिक्रम सिंह कसवाल	फार्मासिस्ट	प्रा0स्वा0के काण्डई, नन्दनगर, चमोली	प्रा0स्वा0के0 भटोली, चमोली	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)

महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/ 20838

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली।
- सर्वप्रथम कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० बुफाल)
संयुक्त निदेशक(पै०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-३प/पैरा/फार्मा०/५०/२०२४/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

—: आदेश :—

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती शैला चौहान	फार्मासिस्ट	सम्बद्ध प्रा०स्वा०के० भगवन्तपुर, देहरादून	प्रा०स्वा०के० भगवन्तपुर, देहरादून	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र सं०-३प/पैरा/फार्मा०/५०/२०२४/ 20840

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गाई फाईल।


13/08/24
(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक(प०म०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/

दिनांक - 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक 05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत	फार्मासिस्ट	प्रा०स्वा०के० पिथौरागढ़	प्रा०स्वा०केन्द्र ताड, चम्पावत	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/ 20842

तददिनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/चम्पावत।
- मुख्य/वरिष्ठ कार्याधिकारी, पिथौरागढ़/चम्पावत।
- सहायक कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(ज०एस० बुफाल)
संयुक्त निदेशक(पै०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/

दिनांक-13 अगस्त, 2024

—: आदेश —

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278/XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री पंकज कुमार वत्स	फार्मासिस्ट	प्रा०स्वा०के० दल्ला, पिलखी, टिहरी	प्रा०स्वा०के० सिरचन्दी, हरिद्वार	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र समी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आया)
महानिदेशक।

पत्र सं-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/ 20844

तददिनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी/हरिद्वार।
- मुख्य/वरिष्ठ कार्याधिकारी, टिहरी/हरिद्वार।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गृह प्रार्थना।


13/08/24
(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक(प०म०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-३५/पैरा/फार्मा०/५०/२०२४/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

—: आदेश —

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्रावधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक 05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री प्रेम लाल शाह	फार्मासिस्ट	प्रा०स्वा०के० रणघार, रुद्रप्रयाग	जिला चिकि० बौराडी, टिहरी	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र सं०-३५/पैरा/फार्मा०/५०/२०२४/ 20846

तददिनांक।

प्रतिरूपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग/टिहरी।
- मुख्य/सिस्ट काषाधिकारी, रुद्रप्रयाग/टिहरी।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० बौराडी, टिहरी।
- संबन्धित कार्मिक, द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- सर्वे ऑफिस।

(ज०एस० बुफाल)
संयुक्त निदेशक(पै०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक-13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती दीपा कश्यप	फार्मासिस्ट	प्रा०स्वा०के०चौडमेहता, चम्पावत	प्रा०स्वा०के० गूलरभोज, गदरपुर, उधमसिंहनगर	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवाधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/ 20848

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत/उधमसिंहनगर।
- मुख्य/वॉरंट काषाधिकारी, चम्पावत/उधमसिंहनगर।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गाई फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक(पै०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/

दिनांक-13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती सीमा रानी	फार्मासिस्ट	सामु0स्वा0के0 टिहरी	प्रतापनगर, अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)

महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/ 20850

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी/हरिद्वार।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी/हरिद्वार।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक(पै०म०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री दिनेश प्रसाद भट्ट	फार्मासिस्ट	राज०एलो० चिकि० लिवाडी, मोरी, उत्तरकाशी	जिला चिकि० उत्तरकाशी वर्तमान में कार्यरत श्री गोपाल सिंह राना, फार्मासिस्ट की चीफ फार्मासिस्ट में पदोन्नति होने के फलस्वरूप नई तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात उक्त आदेश प्रभावी होगा।	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)

महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/

20852

तददिनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी।
- मुख्य/चौखण्ड कार्याधिकारी, उत्तरकाशी।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० उत्तरकाशी।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।



(जे०एस० चुफाल)

सयुक्त निदेशक(पै०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्रविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्रविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री कमल बिष्ट	फार्मासिस्ट	राज०एलो० चिकि० लक्ष्मणझूला, पौड़ी	राज्य मानसिक चिकि० सेलाकुई, देहरादून वर्तमान में कार्यरत श्रीमती सुधा कुकरेती, फार्मासिस्ट की चीफ फार्मासिस्ट में पदोन्नति होने के फलस्वरूप नई तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात उक्त आदेश प्रभावी होगा।	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आया)

महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/ 20854

तददिनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गडवाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
- चिकित्सा अधीक्षक, राज्य मानसिक चिकित्सालय सेलाकुई, देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)

संयुक्त निदेशक(पुनर्गठन)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती शशि जोशी	फार्मासिस्ट	प्रा०स्वा० के० घौतरी, उत्तरकाशी	प्रा०स्वा०के० सरोना, देहरादून वर्तमान में कार्यरत श्री कमलेश्वर प्रसाद जोशी, फार्मासिस्ट की चीफ फार्मासिस्ट के पद पर पदोन्नति होने के फलस्वरूप नई तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात उक्त आदेश प्रभावी होगा।	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)

महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/ 20856

तददिनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी/देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कापाधिकारी, उत्तरकाशी/देहरादून।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाइल।

(जे०एस० चुफाल)

संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक-13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री संजय कुमार	फार्मासिस्ट	प्रा०स्वा०के० संगलाकोटी, पौड़ी	उपजिला चिकित्सालय कोटद्वार, पौड़ी वर्तमान में कार्यरत श्री आनन्द सिंह सजवाण, फार्मासिस्ट की चीफ फार्मासिस्ट के पद पर पदोन्नति होने के फलस्वरूप नई तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात उक्त आदेश प्रभावी होगा।	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)


महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/ 20858

तददिनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी।
- प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, उपजिला चिकित्सालय कोटद्वार, पौड़ी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/कोटद्वार।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- गार्ड फाइल।


13/08/24
(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पी०एम०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानो, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानो के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री बसन्त बल्लभ पाण्डे	फार्मासिस्ट	प्रा०स्वा०के० थल, पिथौरागढ़	अधीन मुख्य चिकि० अधिकारी नैनीताल	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)

महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/ 20860

तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ क्रोषाधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जोएसो चुफाल)

सयुक्त निदेशक (पै०म०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्रावधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVII(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती प्रियका ब्यास	फार्मासिस्ट	प्रा०स्वा०के० बडकोट, उत्तरकाशी	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/ 20862

तददिनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी।
- मुख्य/वॉरंट कार्याधिकारी, उत्तरकाशी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- साक्ष्य प्राप्त।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

—: आदेश :—

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री कैलाश चन्द्र	फार्मासिस्ट	प्रा०स्वा०के० अल्मोडा बिनता,	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)

महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/ 20864

तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा/नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा/नैनीताल।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)

संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री प्रदीप कुमार	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र श्रीकोट जौनपुर, टिहरी	प्रा०स्वा०के० थल्यूड, टिहरी	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आया)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/ 20868

तददिनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी।
- मुख्य/वरिष्ठ क्रोषाधिकारी, टिहरी।
- सर्वोपेक्ष कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


13/08/24
(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०म०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री राकेश चन्द्र जोशी	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र चामी, धारचूला, पिथौरागढ़	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवाधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आया)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/ 20870

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गाई फाइल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०में०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक-13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री विद्यासागर	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र काफलीगैर, बागेश्वर	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आयी)

महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/ 20872

तद्दिनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ काषाधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० बुफाल)

संयुक्त निदेशक (प०म०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्रावधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री हरीश चन्द्र पुरोहित	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र असेड, नारायणबगड, चमोली	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

20874

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली/देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/देहरादून।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
सयुक्त निदेशक (पे०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री अमरीश कुमार	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र दौनाबलिया, बेरीनाग, पिथौरागढ़	सामु०स्वा०के० नारसन, हरिद्वार	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)

महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/ 20876

तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/ कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/हरिद्वार।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/हरिद्वार।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाइल।

(जे०एस० चुफाल)

सयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-३५/पैरा/फार्मा०/५०/२०२४/

दिनांक 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्रावधानों शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या 221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती मनु राही	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र पिनाकोट, थलीसेण, पौड़ी	उप जिला चिकि० बाजपुर, उधमसिंहनगर	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पत्रिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)

महानिदेशक।

पत्र सं०-३५/पैरा/फार्मा०/५०/२०२४/

20880

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/उधमसिंहनगर।
- मुख्य/वॉरंट कोषाधिकारी, पौड़ी/उधमसिंहनगर।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाइल।

जोएस० चुफाल

संयुक्त निदेशक (प०म०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्रावधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	श्री ईलम सिंह पवार	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र बनास नौगाँव, उत्तरकाशी	प्रा०स्वा०के० गुन्दियारगाँव, उत्तरकाशी	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवाधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।


(तारा आया)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/ 20882

तददिनांक।

प्रतिरूप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी।
- मुख्य/वरिष्ठ काषाधिकारी, उत्तरकाशी।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाइल।


(जे०एस० चुफाल)
सयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

—: आदेश :—

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री मनोज वर्मा	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र भण्डारीगॉव गंगोलीहाट, पिथौरागढ़	उप जिला चिकित्सक रामनगर, नैनीताल	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आया)

महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/

20884

तददिनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ कार्याधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- साई फाइल।

(जोएसो चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०म०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक-13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री सुन्दर सिंह	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र लाता जोशीमठ चमोली	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी उधमसिंहनगर	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)

महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

20886

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊ मण्डल नैनीताल।।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली/ऊधमसिंह नगर।
- मुख्य/वरिष्ठ काषाधिकारी, चमोली/ऊधमसिंह नगर।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)

सयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVII(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री विनय कुमार वर्मा	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र राडीखूँटी, ईगयारदेवी, पिथौरागढ़	प्रा०स्वा०के० मछोड, सल्ट, अल्मोडा	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

20888

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/अल्मोडा।
- मुख्य/वरिष्ठ काषाधिकारी, पिथौरागढ़/अल्मोडा।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (प०म०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-34/पैरा/फार्मा0/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्रावधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती सन्तोष दिश्वकर्मा	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र तडैनी, लमगडा, अल्मोडा	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उधमसिंहनगर	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आया)

महानिदेशक।

पत्र सं०-34/पैरा/फार्मा0/50/2024/ 20890

तददिनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा/उधमसिंहनगर।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा/उधमसिंहनगर।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- गाइड फाइल।



(जे०एस० चुफाल)

संयुक्त निदेशक (प०म०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानो, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानो के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री सुरेन्द्र सिंह खाती	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र राममन्दिर गंगोलीहाट, पिथौरागढ़	जिला चिकि० रुद्रपुर, उधमसिंहनगर	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/

20866

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/उधमसिंहनगर।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/उधमसिंहनगर।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


(जे०एस० घुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मै०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं० ३५/पैरा/फार्मा०/५०/२०२४/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

—: आदेश :—

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्रावधानों शासनादेश संख्या 12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक 05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती रेखा रावत	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र कण्डारा, यमकेश्वर पौड़ी	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र सं०-३५/पैरा/फार्मा०/५०/२०२४/

20892

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/

दिनांक-13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्रावधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री राकेश चन्द्र	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र नऊ, बीरोंखाल, पौड़ी	प्रा०स्वा०केन्द्र मैठानाघाट, पौड़ी	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पत्रिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आया)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/

20894

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गाढ़े फाईल।

(जे०एस० बुफाल)
सम्बन्धित निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री नरेश कुमार	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र मौगी, टिहरी	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आया)

महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/ 20896

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी/देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी/देहरादून।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जोएसो चुफाल)

राज्य निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री संदीप जोशी	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र दुधोली, द्वाराहाट, अल्मोडा	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उधमसिंहनगर	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवाधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आया)

महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/ 20898

तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा/उधमसिंहनगर।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा/उधमसिंहनगर।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री प्रवीण कुमार पाण्डे	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र ईराणी, चमोली	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करात हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पत्रिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)


महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/ 20900

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली/हरिद्वार।
- मुख्य/वरिष्ठ कायाधिकारी, चमोली/हरिद्वार।
- संघीय कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


जोएसो चुफाल)
संयुक्त निदेशक (प०म०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या- 12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री प्रहलाद सिंह	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र मतकुण्डी, पिलखी, टिहरी	प्रा0स्वा0के0 सराईखेत, देघाट, अल्मोडा	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पत्रिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)

महानिदेशक।


पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/

20902

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल पौड़ी/ कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी/अल्मोडा।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी/अल्मोडा।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गाइड फाईल।


(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/

दिनांक-13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री दीपक कुमार शर्मा	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र नाईढील, ताकुला, अल्मोडा	प्रा०स्वा०केन्द्र तल्ला रामगढ, नैनीताल	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पत्रिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आया)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/ 20904

तद्दिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
 - मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा/नैनीताल।
 - मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा/नैनीताल।
 - संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
 - गार्ड फाईल।


(जे०एस० चुगल)
संयुक्त निदेशक (पे०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/

दिनांक-13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्रावधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री शशि भट्ट	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र खरीक, डाडामण्डी, पौड़ी	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/

20906

तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
 - मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/हरिद्वार।
 - मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/हरिद्वार।
 - संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
 - गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्रावधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री राजन प्रसाद आर्या	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र चौगौंवछीना, काण्डा, बागेश्वर	सामु0स्वा0के0 हल्द्वौड, हल्द्वानी, नैनीताल	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)

महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/

20908

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
सयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्रावधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री कुलदीप सिंह	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र उडामाण्डा, पोखरी, चमोली	प्रा०स्वा०के० नैनीसैण, चमोली	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पत्रिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आया)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/ 20910

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाइल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०पै०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री प्रदीप सिंह रावत	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र बडतोली, कर्णप्रयाग, चमोली	प्रा०स्वा०के० दिग्धार, रूद्रप्रयाग	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

20912

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली/रूद्रप्रयाग।
- मुख्य/वरिष्ठ काषाधिकारी, चमोली/रूद्रप्रयाग।
- सर्वाधिकार कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० बुफाल)
संयुक्त निदेशक (प०म०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

दिनांक-13 अगस्त, 2024

पत्र सं०-34/पैरा/फार्मा0/50/2024/

—: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री सजीव कुमार	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र सुराडी, डाडामण्डी, पौड़ी	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र सं०-34/पैरा/फार्मा0/50/2024/

20914
20915

तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
 - मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/हरिद्वार।
 - मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/हरिद्वार।
 - संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
 - गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०म०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/

दिनांक-13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निर्हित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री संजय कुमार	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र कनालीछीना, पिथौरागढ	दोबाँस, अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवाधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आया)

महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/

20916

तददिनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ/नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ/नैनीताल।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


7350824
(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (प०म०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

दिनांक-13 अगस्त, 2024

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्रावधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री रोशनलाल	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र मऊ, बाराकोट, चम्पावत	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आया)

महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/

20918

तद्दिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
 - मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत।
 - मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत।
 - संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
 - गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)

सयुक्त निदेशक (पै०मै०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-34/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्रावधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री महेश चन्द्र उप्रेती	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र स्यूणी मल्ली गैरसैण, चमोली	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवाधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पत्रिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आया)

महानिदेशक।

पत्र सं०-34/पैरा/फार्मा०/50/2024/ 20920

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/ कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली/अल्मोडा।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/अल्मोडा।
- गर्वाहित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- सर्वे फाइल।


(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पी०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-35/पैरा/फार्मा0/50/2024/

दिनांक-13 अगस्त, 2024

—: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्रावधानों शासनादेश संख्या 12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या 221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री गुरमीत सिंह सलूजा	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र सातरतवे, बागेश्वर	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उधमसिंहनगर	निजी अनुरोध


1. सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
3. सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
4. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र सं०-35/पैरा/फार्मा0/50/2024/ 20922

तददिनांक।

- प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर/उधमसिंहनगर।
 3. मुख्य/असिस्ट काषाधिकारी, बागेश्वर/उधमसिंहनगर।
 4. सर्वोच्च कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
 5. गान्धी भवन।


जोएसो चुफाल
सम्बन्धित निदेशक (प०म०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/

दिनांक-13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्रावधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री विजय सिंह	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र थौलधार, नैलचामी, टिहरी	प्रा०स्वा०के० काण्डीखाल, पौड़ी	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आया)

महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/

20924

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी/पौड़ी।
- मुख्य/वरिष्ठ काषाधिकारी, टिहरी/पौड़ी।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

12/08/24
(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्रावधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या 223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती रितु जोशी	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र मयापावटा, विकासनगर, देहरादून	प्रा०स्वा०के० पश्चिमवाला, देहरादून वर्तमान में कार्यरत श्री विनोद कुमार, फार्मासिस्ट की चीफ फार्मासिस्ट में पदोन्नति होने के फलस्वरूप नई तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात उक्त आदेश प्रभावी होगा।	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पत्रिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आया)

महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/ 20926

तददिनांक।

प्रतिरूपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)

संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री पूसुफ अली	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र तीख, कपकोट, बागेश्वर	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उधमसिंहनगर	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)

महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/ 20928

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर/उधमसिंहनगर।
- मुख्य/वरिष्ठ कार्पाधिकारी, बागेश्वर/उधमसिंहनगर।
- संयोजन कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईन।

(जे०एस० चुफाल)

संयुक्त निदेशक (प०म०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

—: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या 12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक 05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या 221278/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या 223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
	श्री नरेन्द्र कुमार	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र भूलीगाँव, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराने हुए प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पत्रिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)
महानिदेशक

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/

20930

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/देहरादून।
- मुख्य/सिस्ट काषाधिकारी, पिथौरागढ़/देहरादून।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गण्डे कार्यालय।

(जोएसो चुफाल)
सम्बन्धित निदेशक (फार्मा)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-३५/पैरा/फार्मा०/५०/२०२४/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

—: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्रावधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री कमलेश चन्द्र तिवारी	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र हुंगरी, मुनस्यारी, पिथौरागढ़	समु०स्वा०के० हल्द्वी, नैनीताल	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पत्रिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र सं०-३५/पैरा/फार्मा०/५०/२०२४/ 20932

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ कौषाधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- सर्वे प्रार्थित।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मै०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती पुष्पा आर्या	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र गहना रामगढ, नैनीताल	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/ 20934

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/

दिनांक 13 अगस्त, 2024

—: आदेश :—

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्रावधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30 /XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या 221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम 04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री राजेश कुमार जोशी	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र लौबाज, बागेश्वर	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवाधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आयी)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/ 20936

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ कांषाधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल।
- संवायन कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गाउँ फाइल।

(जे०एस० चुफाल)
सयुक्त निदेशक (पै०म०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री जयवीर सिंह राणा	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र देवल, प्रतापनगर, टिहरी	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)

महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/ 20938

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी।
- मुख्य/चरिष्ट कोषाधिकारी, टिहरी।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाइल।


13/08/24
(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती कविता कुटोला	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र खानमंडोली, ताडीखेत, अल्मोडा	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।


(तारा आया)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/ 20940

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा/नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा/नैनीताल।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/

दिनांक 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्रावधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती भगवती कोठारी,	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र जडधारगाँव, चम्बा टिहरी	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पत्रिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आयी)

महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/ 20942

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी/देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी/देहरादून।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जोएसो चुफाल)
सयुक्त निदेशक (पै०मै०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री त्रिलोक चौहान	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र सैज, कालसी, देहरादून	प्रा०स्वा०के० विरमऊ, कालसी, देहरादून	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)

महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

20944

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
- मुख्य/वॉरफ़ कापाधिकारी, देहरादून।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फ़ाईल।

(जे०एस० चुफाल)

संयुक्त निदेशक (पै०में०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-34/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्रावधानों शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30 XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री राजेन्द्र लाल	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र काण्डई, ग्वाड, रुद्रप्रयाग	सामु० स्वा०के० कीर्तिनगर, टिहरी वर्तमान में कार्यरत श्री आनन्द सिंह चौहान फार्मासिस्ट की चीफ फार्मासिस्ट में पदोन्नति होने के फलस्वरूप नई तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात उक्त आदेश प्रभावी होगा।	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आया)

महानिदेशक।

पत्र सं०-34/पैरा/फार्मा०/50/2024/ 20946

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग/टिहरी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी रुद्रप्रयाग/टिहरी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- सम्बन्धित फार्मासिस्ट।

13/08/24
जे०ए०स० चुफाल
संयुक्त निदेशक (प०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक-13 अगस्त, 2024

:- आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्रावधानों शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री मनोज शर्मा	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र खिररीखाल नैनीडांडा, पौड़ी	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उधमसिंहनगर	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)

महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/ 20148

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/ कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/उधमसिंहनगर।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/उधमसिंहनगर।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)

संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक-13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्रावधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री राजीव कुमार	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र बडवाली पी०एच०सी० नंदगांव टिहरी	प्रा०स्वा०के० उत्तरों, उत्तरकाशी वर्तमान में कार्यरत श्री गणेश राम नौटियाल फार्मासिस्ट की चीफ फार्मासिस्ट में पदोन्नति होने के फलस्वरूप नई तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात उक्त आदेश प्रभावी होगा।	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आया)

महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/ 20950

तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली/उत्तरकाशी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/उत्तरकाशी।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।



(जे०एस० चुफाल)

संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-34/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

:- आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री बलबीर सिंह	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र गणार्ड जोशीमठ चमोली	सामु०स्वा०के० प्रेम नगर वर्तमान में कार्यरत श्री चन्द्र प्रकाश उनियाल, फार्मासिस्ट की चौफ फार्मासिस्ट में पदोन्नति होने के फलस्वरूप नई तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात उक्त आदेश प्रभावी होगा।	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पत्रिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)

महानिदेशक।

पत्र सं०-34/पैरा/फार्मा०/50/2024/ 20952

तददिनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मन्दावा मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली/देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/देहरादून।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियुक्त अधिकारी।
- माई फाइल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती रजनी सती	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र टंगसा, दसोली, चमोली	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आया)

महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/ 20954

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मढवाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली/देहरादून।
- मुख्य/वर्षाद कोषाधिकारी, चमोली/देहरादून।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)

संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-34/पैरा/फार्मा0/50/2024/

दिनांक-13 अगस्त, 2024

:- आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री त्रिलोक सिंह	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र माजखेत, बागेश्वर	राज० एलो० चिकि० रामनगर, उधमसिंहनगर वर्तमान में कार्यरत श्री दलजीत सिंह फार्मासिस्ट की चीफ फार्मासिस्ट में पदोन्नति होने के फलस्वरूप नई तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात उक्त आदेश प्रभावी होगा।	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पत्रिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आया)

महानिदेशक।

पत्र सं०-34/पैरा/फार्मा0/50/2024/

20956

तददिनांक।

प्रतिनिधिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर/उधमसिंहनगर।
- मुख्य/वीरप्प नापाचिवारी, बागेश्वर/उधमसिंहनगर।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)

संयुक्त निदेशक (पै०ने०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-35/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

—: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री संजीव कुमार	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र वडवाली पी०एच०सी० नंदगांव टिहरी	प्रा०स्वा०के० नेताला, उत्तरकाशी वर्तमान में कार्यरत श्री दिनेश चन्द्र नौटियाल, फार्मासिस्ट की चीफ फार्मासिस्ट में पदोन्नति होने के फलस्वरूप नई तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात उक्त आदेश प्रभावी होगा।	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)

महानिदेशक।


पत्र सं०-35/पैरा/फार्मा०/50/2024/

20958

तददिनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली/उत्तरकाशी।
- मुख्य/वरिष्ठ कापाधिकारी, चमोली/उत्तरकाशी।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पी०एम०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-34/पैरा/फार्मा0/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्रावधानों शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30 XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती प्रेमा साह	फार्मासिस्ट	उपकेन्द्र फटगली, बागेश्वर	जिला चिकित्सालय बागेश्वर श्री हरीश चन्द्र ऐटानी, फार्मासिस्ट की चीफ फार्मासिस्ट में पदोन्नति होने के फलस्वरूप नई तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात उक्त आदेश प्रभावी होगा।	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आया)

महानिदेशक।

पत्र सं०-34/पैरा/फार्मा0/50/2024/

20960

तद्दिनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ, मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर।
- मुख्य/वरिष्ठ नोप्राधिकारी, बागेश्वर।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।



(जे०एस० चुफाल)

नियुक्त निदेशक (पै०मै०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-35/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक-13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक 05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278/XXX(2)/ 2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 में कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री गोविन्द प्रसाद	फार्मासिस्ट	सामु०स्वा०के० मालधनचौड, नैनीताल	प्रा०स्वा०के० उदयपुर, अल्मोडा	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पत्रिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आया)
महानिदेशक

संख्या 35/पैरा/फार्मा०/50/2024/ 20962

तद्दिनांक।

प्रतिनिधि, निम्नलिखित को सूचनाधे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ, मण्डल नैनीताल।
- मुख्य निमित्तक, प्रोक्लामे, नैनीताल।
- मुख्य निमित्तक, ज्योतिषपुरी, अल्मोडा/नैनीताल।
- सहायक निमित्तक, ज्योतिषपुरी, अल्मोडा/नैनीताल।
- मुख्य निमित्तक, ज्योतिषपुरी, अल्मोडा/नैनीताल।

(जे०एस० चुफाल)
मुख्य निदेशक, 2024

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक:- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक 05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री दिनेश कुमार	फार्मासिस्ट	प्रा०स्वा०के० कुंजाग्रण्ट विकासनगर, देहरादून	प्रा०स्वा०के० नन्दगाँव, टिहरी	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आया)
महानिदेशक

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

20964

तददिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/टिहरी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
समुक्त निदेशक (प०म०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-34/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक-13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्रावधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVII(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक 05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX 2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278/XXX(2)/ 2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री जगत पाल सिंह मनराज	फार्मासिस्ट	जिला चिकित्सालय अल्मोडा	प्रा०स्वा०के० बनोली, अल्मोडा	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)
महानिदेशक

पत्र सं०-34/पैरा/फार्मा०/50/2024/

20966

तददिनांक।

प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा।
- प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय अल्मोडा।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- सार्ड फाइल।

(जे०एस० दुफाल)
सम्बन्धित निदेशक (पै०में०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक:- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक 05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती संगीता नेगी	फार्मासिस्ट	जिला (कोरोनेशन) चिकित्सालय देहरादून	प्रा०स्वा०के० कोडारना, टिहरी	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।


(तारा आर्षी)
महानिदेशक

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/ 20968

तददिनांक।

प्रतिनिधि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून/टिहरी।
- प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला (कोरोनेशन) चिकित्सालय देहरादून।
- मुख्य/सहायक चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/टिहरी।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाइल।


(जे०एस० चुफाल)
महानिदेशक

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-34/पैरा/फार्मा0/50/2024/

दिनांक:- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक 05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278/XXX(2)/ 2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री हरिशंकर	फार्मासिस्ट	सामु0 स्वा0के0 लक्सर, हरिद्वार	प्रा0स्वा0के0 पाटीसैण, पौड़ी	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)
महानिदेशक

पत्र सं०-34/पैरा/फार्मा0/50/2024/ 20970

तददिनांक।

प्रतिनिधि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी।
- मुख्य/चार्ज कापाधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० बुफाल)
महानिदेशक

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्रावधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक 05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या 221278/XXX(2)/ 2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री राजीव कुमार गोयल	फार्मासिस्ट	प्रा०स्वा०के० विहारीनगर, हरिद्वार	प्रा०स्वा०के० चाकीसैण, पौड़ी	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)

महानिदेशक

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/ 20972

तददिनांक।

प्रतिनिधि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी।
- मुख्य/वरिष्ठ कक्षाधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाइल।

(जे०एस० चुफाल)

मुख्य निदेशक (वर्ग-३)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक-13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVII(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक 05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री नीरज शर्मा	फार्मासिस्ट	प्रा०स्वा०के० डाडा जलालपुर, हरिद्वार	प्रा०स्वा०के० देवप्रयाग, टिहरी	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आया)
महानिदेशक

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

20974

तददिनांक।

प्रतिनिर्दिष्ट-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार/टिहरी।
- मुख्य/परिष्कृत कोषाधिकारी, हरिद्वार/टिहरी।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


3108/24
(जे०एस० चुफाल)

महानिदेशक

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-35/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक:- 13 अगस्त, 2024

:- आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक 05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती सरिता सिंह	फार्मासिस्ट	राज०एलो० चिकि० कटापत्थर, देहरादून	प्रा०स्वा०के० तिमलसैण, पौड़ी	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आया)
महानिदेशक


पत्र सं०-35/पैरा/फार्मा०/50/2024/

20976

तददिनांक।

प्रतिर्लाप:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- मुख्य/वरिष्ठ काषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


(जे०एस० चुफाल)
सयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/

दिनांक:- 13 अगस्त, 2024

—: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक 05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278/XXX(2)/ 2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती शालिनी तिवाड़ी	फार्मासिस्ट	सामु0स्वा0के0 नारसन, हरिद्वार	प्रा0स्वा0के0 सुमेरुसैंग, पौड़ी	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आया)
महानिदेशक

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/

20978

तददिनांक।

प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी।
- मुख्य/वॉरंट कार्याधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाइल।

(3108)24

(जे०एस० चुफाल)

संयुक्त निदेशक (पिन०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-34/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक 17 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निर्हित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक 05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री जी० एस० कोरंगा	फार्मासिस्ट	राज०एलो० चिकि० बसौली, अल्मोडा	जिला चिकित्सालय अल्मोडा	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवाधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आया)
महानिदेशक

पत्र सं०-34/पैरा/फार्मा०/50/2024/ 20980

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ नण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा।
- प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय अल्मोडा।
- मुख्य चिकित्सा चोपाधिकारी, अल्मोडा।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाइल।



(जे०एस० चुफाल)

अभ्युक्त निदेशक (प०म०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-34/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक-13 अगस्त, 2024

:- आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक 05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री अमर लाल नथवाल,	फार्मासिस्ट	प्रा०स्वा०के० जस्यारा, चमोली	बेस महिला चिकित्सालय सिमली, चमोली	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आयी)
महानिदेशक

पत्र सं०-34/पैरा/फार्मा०/50/2024/ 20982

तद्दिनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली।
- प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, बेस महिला चिकित्सालय सिमली, चमोली।
- मुख्य/वीरुद्ध कोषाधिकारी, चमोली।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गाई फाईल।

(3/08/24)

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मै०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-35/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्रावधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVII(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक 05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री तारा सिंह	फार्मासिस्ट	प्रा०स्वा०के० हवालबाग, अल्मोडा	राज०एलो० चिकि० मनान, अल्मोडा	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।


(तारा आर्या)
महानिदेशक

पत्र सं०-35/पैरा/फार्मा०/50/2024/ 20984

तददिनांक।

प्रतिनिधि निर्माणाखत का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।



(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०म०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

—: आदेश :—

एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक 05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री जे० एस० पंवार	फार्मासिस्ट	सामु०स्वा०के० डीडीहाट, पिथौरागढ़	बी०डी० पाण्डे, जिला चिकित्सालय नैनीताल	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आया)
महानिदेशक

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

20986

तददिनांक।

प्रतिरूपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
- प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय नैनीताल।
- मुख्य/चरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
सयुक्त निदेशक (प०न०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-34/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

:- आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निर्हित शब्दघानो, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक 05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278/XXX(2)/ 2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या 223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित शब्दघानो के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री जगदीश प्रसाद	फार्मासिस्ट	प्रा०स्वा०के० -ए बसुकेदार, रूद्रप्रयाग	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)
महानिदेशक

पत्र सं० 34/पैरा/फार्मा०/50/2024/

20988

तददिनांक।

प्रतिनिधि निर्दिष्टित का सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मद्रवाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रूद्रप्रयाग/देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ फार्मासिस्ट, रूद्रप्रयाग/देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियुक्त अधिकारी।
- गार्ड फाइल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (फार्मा०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/

दिनांक 13 अगस्त 2024

—: आदेश :—

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" के अंतर्गत प्राविधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक 05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या 221278/XXX(2)/ 2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 के अंतर्गत प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 में वर्णित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री दिनेश चन्द्र नौटियाल	फार्मासिस्ट	सामु0स्वा0के0 देवप्रयाग, टिहरी	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करात हुये प्रमाण प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पत्रिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)
महानिदेशक

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/

20990

तददिनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/टिहरी।
- मुख्य/सहायक अधीनकारी, देहरादून/टिहरी।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- माडे फाइल।

(जोएस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

—: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्राविधानों शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक 05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278/XXX(2)/ 2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री रतन लाल	फार्मासिस्ट	प्रा०स्वा०के० नन्दगाँव, टिहरी	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(सारा आया)
महानिदेशक

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

20992

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/टिहरी।
- मुख्य/वरिष्ठ कार्याधिकारी, देहरादून/टिहरी।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जोएसो चुफाल)
संयुक्त निदेशक (प०म०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्रावधानों, शासनादेश संख्या 12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक 05 नवम्बर, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम रात्र-2024 25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री श्याम लाल	फार्मासिस्ट	जिला चिकित्सालय अल्मोडा	प्रा०स्वा०के० ताडीखेत, अल्मोडा	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजीका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आया)
महानिदेशक

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

20994

तददिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
- प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय अल्मोडा।
- मुख्य/वरिष्ठ कर्मपाधिकारी, अल्मोडा।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जि०एस० चुफाल)

कार्यालय- महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/

दिनांक- १९ अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्रावधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक 05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री जगदीश चन्द्र जोशी,	चीफ फार्मासिस्ट	क्षयरोगाश्रम गेटिया, नैनीताल	बेस चिकित्सालय हल्द्वानी, नैनीताल	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रमाण प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवनुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पत्रिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)
महानिदेशक

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/

20996

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, क्षयरोगाश्रम गेटिया, नैनीताल/बेस चिकित्सालय हल्द्वानी, नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पे०में०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/

दिनांक-13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्रावधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री अनिल बिष्ट	फार्मासिस्ट	उपजिला चिकित्सालय विकासनगर, देहरादून	जिला(कोरोनेशन) चिकित्सालय देहरादून	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)

महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा0/50/2024/ 20878

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ काषाधिकारी, देहरादून।
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० विकासनगर, देहरादून।
- संबन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाइल।

(जे०एस० चुफाल)

संयुक्त निदेशक(पै०मे०)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017" में निहित प्रावधानों, शासनादेश संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक-05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र-2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री अनिल बिष्ट	फार्मासिस्ट	उपजिला चिकित्सालय विकासनगर, देहरादून	जिला(कोरोनेशन) चिकित्सालय देहरादून	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाय।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/पैरा/फार्मा०/50/2024/ 20878

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
- मुख्य/चरिष्ट काषाधिकारी, देहरादून।
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० विकासनगर, देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- साउ फाइल।

53/08/24
(जे०एस० चुफाल)
सयुक्त निदेशक(पै०मे०)